

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-29092025-266513
SG-DL-E-29092025-266513असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293]	दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2025/ आश्विन 7, 1947	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 257
No. 293]	DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2025/ ASVINA 7, 1947	[N. C. T. D. No. 257

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस-II) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 29 सितम्बर, 2025

सं.फा. 2967-3117/या. अभि. शा.(डी.-2)/यातायात, दिनांक दिल्ली 29/09/2025.—जबकि, राजेंद्र प्रसाद रोड पर, गोल चक्कर जसवंत सिंह से गोल चक्कर राजेंद्र प्रसाद रोड जनपथ पराठ की तरफ यातायात के भारी प्रवाह के कारण यातायात के सुचारू निर्वहन में बाधा उत्पन्न हो रही है और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को असुविधा हो रही है।

और जबकि, यातायात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने और वाहन चालकों एवं अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए राजेंद्र प्रसाद रोड पर गोल चक्कर जसवंत सिंह से गोल चक्कर राजेंद्र प्रसाद रोड - जनपथ रोड की तरफ, यातायात के आवागमन को विनियमित करना आवश्यक है।

अतः मैं, शिवे केसरी सिंह, उपायुक्त पुलिस, यातायात (मुख्यालय-2) दिल्ली. दिल्ली में सड़कों व गलियों पर वाहन व अन्य यातायात नियम 1980 की धारा 21 जिसके अन्तर्गत मुझे अधिकार प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए अगले आदेश तक. एतद् द्वारा राजेंद्र प्रसाद रोड पर, गोल चक्कर जसवंत सिंह से गोल चक्कर राजेंद्र प्रसाद रोड जनपथ रोड की तरफ सभी प्रकार के वाहनों के लिए एकतरफा मार्ग घोषित करता हूँ।

सामान्य जनता के सूचनार्थ इस आदेश को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा क्षेत्र के यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस के कार्यालयों के सूचना पट्टों पर चिपकाया जाएगा।

संबंधित अधिकरण एवम् सड़क रख-रखाव प्राधिकरण जन साधारण को सूचनार्थ एवम् सुविधा हेतु आवश्यक संकेत पट्ट पर प्रतिबंधित संकेत को इंगित करते हुए लगाएंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मेरे द्वारा इस कार्यालय की मोहर के साथ दिनांक 29/09/2025 को जारी किया गया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
शिवेकेशरी सिंह, उपायुक्त पुलिस यातायात (मुख्यालय-2)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 29th September, 2025

F. No. 2967-3117/TE (D-II), Traffic, dated at New Delhi the 29/09/2025.—Whereas, heavy flow of traffic is causing obstruction in smooth discharge of traffic and inconvenience to other road users on Rajendra Prasad Road from Roundabout Jaswant Singh towards Roundabout Rajendra Prasad Road – Janpath Road;

And whereas, it is necessary to regulate the movement of traffic on Rajendra Prasad Road from Roundabout Jaswant Singh towards Roundabout Rajendra Prasad Road – Janpath Road to ensure smooth flow of traffic and for convenience and safety of motorists and other road users;

Now, therefore, I, ShiveKeshari Singh, Deputy Commissioner of Police/Traffic, (HQ-II), Delhi in exercise of the powers, conferred upon me under Regulation 21 of the Delhi Control of Vehicular and Other Traffic on Roads and Street Regulations, 1980 do hereby declare 'One Way' traffic movement on Rajendra Prasad Road from Roundabout Jaswant Singh towards Roundabout Rajendra Prasad Road – Janpath Road for all type of motor vehicles, till further orders.

This order shall be published in the official gazette and affixed on the notice boards of the offices of traffic police and local police of the area for the information of the general public.

The concerned road owning/maintaining agencies shall erect corresponding mandatory/regulatory signboards indicating the restriction in the area for guidance and convenience of all concerned.

This order shall come into force with immediate effect.

Given under my hand and seal of this office on 29/09/2025.

By Order and In the Name Of the Lt. Governor
of The National Capital Territory of Delhi.

SHIVEKESHARI SINGH, Deputy Commissioner of Police Traffic (HQ-II)